

पधन नियुक्ति के समय अचल संपत्ति का विवरण यथा-  
 1. अधिकारी/कर्मचारी का पूरा नाम कुन्दावन कोवटा 2. वर्तमान धारित पद कार्याधि रक्षक प्रोवी-दो 3. कार्यालय का नाम मुख्य कमिश्नरी (परी) संचार  
मंडू प्रो पाठ हाई स्कूल 4. वर्तमान वेतन 26,910 + 4400 5. भविष्य निधि क्रमांक 23153306 6. कर्मचारी संख्या 181970179 जबलपुर

उस जिले, उप सभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें संपत्ति स्थित हो	संपत्ति का नाम तथा ब्यौरे		वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका मंडल अधिकारी/कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया खरीद, पट्टा, बंधक विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जितकी गई हो उसका नाम तथा ब्यौरा	संपत्ति से वार्षिक आय	अभ्युक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
1	2	3	4	5	6	7	8
① लोक कल्याण गृह निगम सह सांग्रित मोहोला	मकान	1200 वर्गफुट	15,00,000/-	स्वयं के नाम	स्वयं के मासिक वेतन की वचत	निरंक	
② राजीव गांधी वार्ड कल्याण कालोनी जबलपुर	मकान	1200 वर्गफुट	14,00,000/-	श्रीमती तारा पाल्ने के नाम	पाल्ने द्वारा प्राप्त वेतन की वचत एक महीने द्वारा	निरंक	

ISC/PPF/EPF की शर्तों से संशोधन  
 हस्ताक्षर कुन्दावन कोवटा  
 नाम कार्याधि रक्षक प्रोवी-दो  
 पद मुख्य कमिश्नरी (परी) संचार  
मंडू प्रो पाठ हाई स्कूल  
 24/11/2016

- \* जहां लागू न हो काट दीजिए
- \*\* ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए
- \*\*\* इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं

टिप्पणी-मंडल द्वारा ग्राह्य म.प्र. शासकीय सेवक (आवरण) नियम, 1985 के नियम 19(1) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक 12 महीने की अवधि के पश्चात् यह घोषणा पत्र भरकर प्रस्तुत करें और उसमें वह उसके स्वाभिव की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर अथवा किसी अन्य व्यक्ति के नाम से पट्टे या बंधक पर धारित स्थावर (अचल) संपत्ति का विवरण दें।

इस कार्यालय संपलक्ष करवा जाना सुनिश्चित करें।  
 संलग्न - उपरोक्तानुसार